

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 498/2023
अनवान : -

1. जसवन्त पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. किशनलाल उर्फ कृष्णलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. भादर राम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामनिवास पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. जिलेसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सन्तोष पत्नि सत्यनारायण जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. खुशी मोहम्मद पुत्र कासिम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. सफी मोहम्मद पुत्र कासिम कुम्हार (प्रजापति) निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. दीपचन्द पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. मैना देवी पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. राजकोरी पत्नि भादराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. सत्यनारायण पुत्र भादराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 14/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन तहसील नोहर के खाता सं. 68/58 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 49/49 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि हिस्सा भूमि जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 35/34 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 5/14 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 2/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 5/14 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 93/90 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में से वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 145/75 की कुल 1.3930 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 84/72 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 142/142 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 6 का 5/62 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 का 11/31 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 की 10/31 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 की 5/31 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 5/62 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है। रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 132/135 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 116/56 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 198/68 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काशतकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
 वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक बंटवारानामा करके वर्षों से कब्जा काशत के अनुसार काबिज है तथा उसी अनुसार काशत करते चले आ रहे है लेकिन वादी व प्रतिवादीगण की भिन्न भिन्न खातेजात में हक व हिस्सा दर्ज रहने से आये दिन भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने निम्नानुसार वाद भूमि का बंटवारा कर रखा है—

उपखण्ड अधिकारी
 नोहर

1. रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता स. 93/90 की कुल खसरे की 0.7590 हैक्टर भूमि एवं खाता स. 92/91 की कुल 1 खसरे की 0.2530 हैक्टर भूमि अर्थात कुल 4 किता 1.0120 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं 68/58 के प.न. 344/432 मु.न. 1 के किला न. 1, 2, 9 ता 12 व 19 ता 22 प.न. 344/433 के मु.न. 4 के किला न. 1/1 व 1/2 व रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स. 49/49 के प.न. 342/435 मु.न. 10 के किला न. 3/1 व 3/2 व 8, 13, 18, 20/1, 20/2 एवं खाता सं. 84/72 के प.न. 341/435 के मु.न. 11 के किला न. 16, 17, 24 ता 25 प.न. 341 /436 मु.न. 16 के किला न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 की कुल 29 किता की 6.0720 हैक्टर, बारानी प्रथम -3.9460 हैक्टर, नहरी - 1.9730 हैक्टर, गै.मु. रास्ता-0.1020 हैक्टर, गै.मु. खाला-0.0510 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार रहेगा ।
2. रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन तहसील नोहर के खाता सं. 68/58 के प.न. 344/433 मु.न. 4 के किला न. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 10 कुल 7 किता की 1.2650 हैक्टर, बारानी प्रथम -1.1860 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0760 हैक्टर व रोही मौजा चक 3 आर.एम.एस. तहसील नोहर के खाता सं. 116/56 की कुल 6 तादादी 1.2650 हैक्टर एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/343 के मु.न. 39 के किला न. 15, 16, 25 व प.न. 347/435 मु.न. 40 के किला न. 5/1, 5/2, 6 कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर बारानी प्रथम 1.2390 है. , गै.मु.रास्ता -0.0260 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा ।
3. रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 35/34 के मु.न. 345/433 मु.न. 3 के किला न. 6/1, 6/2, 7 ता 14 व 15/1, 15/2 की कुल 12 किता की 2.5300 हैक्टर बारानी प्रथम 2.4800 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता -0.050 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार रहेगा ।
4. रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 35/34 के प.न. 345/433 मु.न. 3 के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 की कुल 8 किता की 1.0120 हैक्टर बारानी प्रथम - 0.8600 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता 0.1520 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 खातेदार काश्तकार रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5. रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन तहसील नोहर के खाता सं. 49/49 के प.न. 340/435 मु.न. 12 के किला न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 16, 17/1, 17/2, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल किता 15 की 2.7830 हैक्टर, बारानी प्रथम 1.4670 है., नहरी-1.2140 हैक्टर, गै.मु. रास्ता - 0.0510 हैक्टर गै.मु.खाला 0.0510 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 5 व 10 बहिब खातेदार काश्तकार रहेगी ।

6. रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 145/75 कुल किता 10 कि 1. 3930 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 3 अकेला खातेदार रहेगा एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 132/35 के कुल 11 किता की 2.7830 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 3 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा ।

7. रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/434 मु.न. 39 के किला न. 12, 19, 22 व प.न. 346/435 मु.न. 40 के किला न. 2/1, 2/2, 9 कुल किता 6 की 1.2650 हैक्टर, बारानी प्रथम- 1.2400 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0250 हैक्टर मे प्रतिवादी सं. 6 व 7 ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार रहेगें ।

8. रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/434 मु.न. 39 के किला न. 13, 14, 17, 18, 23, 24 व प.न. 346/435 मु.न. 40 के किला नं 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8 की कुल 12 किता की 2.5300 हैक्टर बारानी प्रथम 2.4800 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता 0.0500 हैक्टर भूमि की प्रतिवादी सं. 9 के खातेदार काश्तकार रहेगी ।

9. रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 347/434 मु.न. 38 के किला नं 11 ता 13 व 18 ता 23 प.न. 347/435 मु.न. 41 के किला न. 1/1, 1/2, 10 कुल 12 किता की कुल 2.7830 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं 8 खातेदार काश्तकार रहेगा

10. रोही मौजा चक 19 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं 198/68 के कुल 12 किता की 3.0360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी दर्ज है, प्रतिवादी सं. 11 के 1/3 हिस्सा का जिसमें 2/3 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 11 खातेदार काश्तकार रहेगा। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में अलग दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 11 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 12 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के अपना खाता अलग करवाना चाहते है। वादी के वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए खाता अलग अलग किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन तहसील नोहर के खाता सं. 68/58 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है। रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 49/49 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि हिस्सा भूमि जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है। रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 35/34 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 5/14 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 2/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 5/14 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है। रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 93/90 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2530 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 145/75 की कुल 1.3930 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 84/72 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 142/142 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 6 का 5/62 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 का 11/31 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 की 10/31 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 की 5/31 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 5/62 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है। रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 132/135 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 116/56 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 198/68 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काशत की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदा भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है तथा पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता स. 93/90 की कुल खसरे की 0.7590 हैक्टर भूमि एवं खाता स. 92/91 की कुल 1 खसरे की 0.2530 हैक्टर भूमि अर्थात् कुल 4 कित्ता 1.0120 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं 68/58 के प.न. 344/432 मु.न. 1 के किला न. 1, 2, 9 ता 12 व 19 ता 22 प.न. 344/433 के मु.न. 4 के किला न. 1/1 व 1/2 व रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स. 49/49 के प.न. 342/435 मु.न. 10 के किला न. 3/1 व 3/2 व 8, 13, 18, 20/1, 20/2 एवं खाता सं. 84/72 के प. न. 341/435 के मु.न. 11 के किला न. 16, 17, 24 ता 25 प.न. 341 /436 मु.न. 16 के किला



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 की कुल 29 किता की 6.0720 हैक्टर, बारानी प्रथम -3.9460 हैक्टर, नहरी - 1.9730 हैक्टर, गै.मु. रास्ता- 0.1020 हैक्टर, गै.मु. खाला-0.0510 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन तहसील नोहर के खाता सं. 68/58 के प.न. 344/433 मु.न. 4 के किला न. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 10 कुल 7 किता की 1.2650 हैक्टर, बारानी प्रथम -1.1860 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0760 हैक्टर व रोही मौजा चक 3 आर.एम.एस. तहसील नोहर के खाता सं. 116/56 की कुल 6 तादादी 1.2650 हैक्टर एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/343 के मु.न. 39 के किला न. 15, 16, 25 व प.न. 347/435 मु.न. 40 के किला न. 5/1, 5/2, 6 कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर बारानी प्रथम 1.2390 है. , गै.मु.रास्ता -0.0260 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 35/34 के मु.न. 345/433 मु.न. 3 के किला न. 6/1, 6/2, 7 ता 14 व 15/1, 15/2 की कुल 12 किता की 2.5300 हैक्टर बारानी प्रथम 2.4800 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता -0.050 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 35/34 के प.न. 345/433 मु.न. 3 के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 की कुल 8 किता की 1.0120 हैक्टर बारानी प्रथम - 0.8600 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता 0.1520 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन तहसील नोहर के खाता सं. 49/49 के प.न. 340/435 मु.न. 12 के किला न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 16, 17/1, 17/2, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल किता 15 की 2.7830 हैक्टर, बारानी प्रथम 1.4670 है., नहरी-1.2140 हैक्टर , गै.मु. रास्ता - 0.0510 हैक्टर गै.मु.खाला 0.0510 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 5 व 10 बहिब खातेदार काश्तकार रहेगी ।

रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 145/75 कुल किता 10 कि 1.3930 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 3 अकेला खातेदार रहेगा एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 132/35 के कुल 11 किता की 2.7830 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 3 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/434 मु. न. 39 के किला न. 12, 19, 22 व प.न. 346/435 मु.न. 40 के किला न. 2/1, 2/2, 9 कुल किता 6 की 1.2650 हैक्टर, बारानी प्रथम- 1.2400 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0250 हैक्टर मे प्रतिवादी सं. 6 व 7 ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार रहेगें ।

रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/434 मु. न. 39 के किला न. 13, 14, 17, 18, 23, 24 व प.न. 346/435 मु.न. 40 के किला नं 3/1,



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3/2, 4/1, 4/2, 7, 8 की कुल 12 किता की 2.5300 हैक्टर बारानी प्रथम 2.4800 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता 0.0500 हैक्टर भूमि की प्रतिवादी सं. 9 के खातेदार काशतकार रहेगी ।

रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 347/434 मु.न. 38 के किला नं 11 ता 13 व 18 ता 23 प.न. 347/435 मु.न. 41 के किला न. 1/1, 1/2, 10 कुल 12 किता की कुल 2.7830 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं 8 खातेदार काशतकार रहेगा

रोही मौजा चक 19 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं 198/68 के कुल 12 किता की 3.0360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काशतकार दर्ज है, प्रतिवादी सं. 11 के 1/3 हिस्सा का जिसमें 2/3 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 11 खातेदार काशतकार रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 498/2023

अनवान : -

1. जसवन्त पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. किशनलाल उर्फ कृष्णलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. भादर राम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामनिवास पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. जिलेसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सन्तोष पत्नि सत्यनारायण जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. खुशी मोहम्मद पुत्र कासिम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. सफी मोहम्मद पुत्र कासिम कुम्हार (प्रजापति) निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. दीपचन्द पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. मैना देवी पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. राजकोरी पत्नि भादराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. सत्यनारायण पुत्र भादराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 498 सन 2023 निर्णय दिनांक 14/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदनमोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता स. 93/90 की कुल खसरे की 0.7590 हैक्टर भूमि एवं खाता स. 92/91 की कुल 1 खसरे की 0.2530 हैक्टर भूमि अर्थात् कुल 4 किता 1. 0120 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं 68/58 के प.न. 344/432 मु.न. 1 के किला न. 1, 2, 9 ता 12 व 19 ता 22 प.न. 344/433 के मु.न. 4 के किला न. 1/1 व 1/2 व रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स. 49/49 के प.न. 342/435 मु.न. 10 के किला न. 3/1 व 3/2 व 8, 13, 18, 20/1, 20/2 एवं खाता सं. 84/72 के प.न. 341/435 के मु.न. 11 के किला न. 16, 17, 24 ता 25 प.न. 341/436 मु. न. 16 के किला न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 की कुल 29 किता की 6.0720 हैक्टर, बारानी प्रथम -3.9460 हैक्टर, नहरी - 1.9730 हैक्टर, गै.मु. रास्ता- 0.1020 हैक्टर, गै.मु. खाला-0.0510 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन तहसील नोहर के खाता सं. 68/58 के प.न. 344/433 मु.न. 4 के किला न. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 10 कुल 7 किता की 1.2650 हैक्टर,

बारानी प्रथम -1.1860 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0760 हैक्टर व रोही मौजा चक 3 आर.एम.एस. तहसील नोहर के खाता सं. 116/56 की कुल 6 तादादी 1.2650 हैक्टर एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/343 के मु.न. 39 के किला न. 15, 16, 25 व प.न. 347/435 मु.न. 40 के किला न. 5/1, 5/2, 6 कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर बारानी प्रथम 1.2390 है. , गै.मु.रास्ता -0.0260 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा चक 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 35/34 के मु.न. 345/433 मु.न. 3 के किला न. 6/1, 6/2, 7 ता 14 व 15/1, 15/2 की कुल 12 किता की 2.5300 हैक्टर बारानी प्रथम 2.4800 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता -0.050 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 35/34 के प.न. 345/433 मु.न. 3 के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 की कुल 8 किता की 1.0120 हैक्टर बारानी प्रथम - 0.8600 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता 0.1520 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन तहसील नोहर के खाता सं. 49/49 के प.न. 340/435 मु.न. 12 के किला न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 16, 17/1, 17/2, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल किता 15 की 2.7830 हैक्टर, बारानी प्रथम 1.4670 है., नहरी-1.2140 हैक्टर , गै.मु. रास्ता - 0.0510 हैक्टर गै.मु.खाला 0.0510 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 5 व 10 बहिब खातेदार काश्तकार रहेगी ।

रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 145/75 कुल किता 10 कि 1.3930 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 3 अकेला खातेदार रहेगा एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 132/35 के कुल 11 किता की 2.7830 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 3 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा ।

रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/434 मु. न. 39 के किला न. 12, 19, 22 व प.न. 346/435 मु.न. 40 के किला न. 2/1, 2/2, 9 कुल किता 6 की 1.2650 हैक्टर, बारानी प्रथम- 1.2400 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0250 हैक्टर मे प्रतिवादी सं. 6 व 7 ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार रहेंगे ।


रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 346/434 मु. न. 39 के किला न. 13, 14, 17, 18, 23, 24 व प.न. 346/435 मु.न. 40 के किला नं 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8 की कुल 12 किता की 2.5300 हैक्टर बारानी प्रथम 2.4800 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता 0.0500 हैक्टर भूमि की प्रतिवादी सं. 9 के खातेदार काश्तकार रहेगी ।

रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 142/142 के प.न. 347/434 मु.न. 38 के किला नं 11 ता 13 व 18 ता 23 प.न. 347/435 मु.न. 41 के किला न. 1/1, 1/2, 10 कुल 12 किता की कुल 2.7830 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं 8 खातेदार काश्तकार रहेगा

उपजण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक 19 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं 198/68 के कुल 12 किता की 3.0360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है, प्रतिवादी सं. 11 के 1/3 हिस्सा का जिसमें 2/3 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 11 खातेदार काश्तकार रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर